तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
29–7–2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी श्री प्रदीप नेहरा व श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–7–02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 401 मिन सन 1955 से पूर्व मन्शाराम के खातेदारी की थी जो चकबन्दी में 12–एम डबलयू एम में 19 बीघा 4 बिस्वा भूमि पैमूद हुई। मन्शारम की मृत्यु के बाद उक्त भूमि गणपतराम, मनीराम व चन्दुराम व अमरीदेवी, दानी, पारी व मघी के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण संख्या 15 दिनांक 25–07–82 के द्वारा दर्ज की गई। मु. दानी व अमरी की मृत्यु हो गई। इस बीच जरिये नामांतरकरण संख्या 89 दिनांक 08–01–2001 को तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा धारा 15–एएए (2–क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कुल 19 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि मनीराम के नाम व शेष भूमि गणपतराम के नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये। तदुपरांत रेस्पो.सं. 1 लगायत 11 ने एक अपील न्यायालय अति. जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष मियाद बाहर प्रस्तुत की जिसमें बिना प्रार्थी को पक्षकार बनाये शेष रेस्पो. को पक्षकार बनाते हुए तहत अपीलीय न्यायालय ने उक्त अपील को अपने आदेश दिनांक 17–07–2002 के द्वारा स्वीकार कर ली। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उनका कथन है कि प्रार्थी को पक्षकार बनाये मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की और मियाद बाहर अपील को अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार के मियाद में मानते हुए त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित था और प्रार्थी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा था। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि स्वंय अप्रार्थी ने तहत	

न्यायालय के समक्ष अपने हलफनामें प्रस्तुत किये थे जो कि अपने उक्त स्वीकारोक्ति से वे पाबन्द है। प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये उक्त निगरानीधीन आदेश पारित कर दिया है जो कि न्याय के मूलभूत सिद्वान्त कि हर एक को जिसके अधिकारों का हनन होता हो उसको पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, उक्त प्रकरण में न तो प्रार्थी को पक्षकार बनाया गया और न ही प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया जबकि प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज काश्तकार चला आ रहा है और राजस्व अभिलेखों में भी प्रार्थी के नाम इन्द्राजात हो रखे हैं। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे।

3. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी सं.1 से 11 द्वारा तहसीलदार पीलीबंगा के आदेश दिनांक 08–01–2001 के विरूद्ध न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आक्षेपित आदेश द्वारा तहसीलदार पीलीबंगा ने धारा 15–एएए (2–क) काश्तकारी अधिनियम के तहत कुल 19 बीघा 4 बिस्वा भूमि में से 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि मनीराम के नाम व शेष भूमि गणपतराम के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किये। न्यायालय अति. जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ ने उक्त अपील को अपने आलोच्य आदेश दिनांक 17–07–2002 के द्वारा स्वीकार किये जाने से असंतुष्ट होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पीलीबंगा का आदेश दिनांक 8–1–01 निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने का मुख्य आधार यह लिया कि अप्रार्थी सं.12 से अप्रार्थी सं. 17 द्वारा खरीद की गई 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि में अप्रार्थी सं. 17 ने अपने समस्त अधिकार समाप्त करने का प्रार्थना पत्र एवं शेष अप्रार्थीगण तथा प्रार्थी द्वारा राजीनामा का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है। जबकि अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है। पक्षकारानों के बीच राजीनामा होने बाबत् कथन उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा किये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश विधिसम्मत् नहीं होने से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 17–7–02 निरस्त किये जाने योग्य है। 6. परिणामतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ का आदेश दिनांक 17–7–02 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार पीलीबंगा का आदेश दिनांक 8–1–01 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मदनलाल नेहरा) सदस्य	